

1	योजना का नाम	शहरी हाट योजना
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य के निर्धनतम बीपीएल परिवारों, हस्तशिल्पियों, स्वयं सहायकता समूहों, लघु उद्यमियों को मार्केटिंग/विपणन सुविधा उपलब्ध करना।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	2006-07 से निर्माण कार्य 2004-05 में।
4	लाभान्वित वर्ग	उद्यमी/दस्तकार/हस्तशिल्पी
5	पात्रता	बीपीएल, स्वयं सहायता समूह, लघु उद्योग एवं आर्टिजन
6	देय सुविधाएं	विपणन सुविधा हेतु आधारभूत सुविधाएं
7	आवेदन का तरीका	संबंधित हाट या संबंधित जिले के महाप्रबन्धक
8	आवेदन कहां किया जाये	संबंधित हाट एवं संबंधित महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र
9	आवेदन के साथ औपचारिकताएं	पात्रता संबंधी प्रमाण-पत्र
10	सम्पर्क सूत्र	कार्यकारी अधिकारी, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, जिला उद्योग केन्द्र, जोधपुर, अजमेर तथा महाप्रबन्धक, उद्यम प्रोत्साहन संस्थान, उद्योग भवन, जयपुर
11	निर्धारित समय-सीमा	
12	निर्धारित सहायता/सुविधाएं नहीं मिलने पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	संबंधित जिला उद्योग केन्द्र, जिला कलक्टर एवं आयुक्त उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	आवेदन पत्र में शिकायत का उल्लेख करें।
	शिकायत का समाधान होने की समय-सीमा	15 दिवस
13	बिन्दु संख्या 12 में उल्लेखित अधिकारी से भी शिकायत का समाधान न होने पर जिस अधिकारी से सम्पर्क करना है उसका नाम	आयुक्त उद्योग विभाग राजस्थान, जयपुर
	शिकायत कैसे दर्ज करवानी है	आवेदन पत्र में शिकायत का उल्लेख करें।
	शिकायत का समाधान होने की समय-सीमा	एक माह
14	योजना अन्तर्गत देय आर्थिक सहायता क्या बैंक में जमा होगी अथवा ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी।	वर्तमान में योजना अन्तर्गत आर्थिक सहायता का प्रावधान नहीं है यदि कोई आर्थिक सहायता दी जाती है तो डिमाण्ड ड्राफ्ट/चैक के द्वारा दी जावेगी।
15	यदि सहायता राशि बैंक में जमा होगी तो खाता खोलने के लिए किससे संपर्क करना है	बैंक में खाता अपने स्तर पर ही खुलवाना होगा।
16	कैसे जानकारी होगी कि राशि खाते में जमा हो गई है	संबंधित जिला उद्योग केन्द्र से सम्पर्क करना होगा।
17	योजना के अन्तर्गत क्या ऑनलाईन आवेदन की सुविधा उपलब्ध है	समय-समय पर ऑनलाईन आवेदन करने हेतु निर्देश दिये जाते हैं
	यदि हां, तो वेबसाइट का पता	www.rajind.rajasthan.gov.in